

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

रामलाल

बनाम

देवदास

ही अन्तर्गत

128 परसेल

मुकदमा

जारी पत्र

नं.

149

सन्

2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>06/12/2020</p> <p>2020 00267</p>	<p>परपत्नी प्रशासन गाँवों के लंग अभिप्राय 2021 के तहत गांव वगैरे रोलाहेड पर इत्योजित चिपिर में निस्तारण हेतु लक्ष्य गये। हमने परपत्नी का अवलोकन किया अभी गाँव दोलतपुरा पण्ड रोलाहेड स्थित झरणी नं. 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 334/731, 342, 343, 344, 345 कुल कीता 12 कुल रकबा 20600 हे. भूमि की पत्थरगरी करण चाहता हूँ। पत्थरगरी के सलाना नकल जमावन्ती संवत् 2068-2071 अनुपा 1 उच्च कारखाना अभी के सलानाकारी एक ही 5 के रेकार्ड हो। फील: अभी का जर्जना पर स्वीकार किया जाकर गाँव दोलतपुरा पण्ड रोलाहेड स्थित झरणी संख्या 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 334/731, 342, 343, 344, 345 कीता 12 कुल रकबा 20600 हे. भूमि की बिना फिली के कलजे में दरपलागरी फिर सेटलमेन्ट जग्गे अनुपा पत्थरगरी फिर जाने के जोर पर रिफ जाते हैं। कमिशन शुल्क 1500000 रु. प्रति एक हजार पांच से रकम अभी वहन होगा। पालावी लक्ष्मीदास चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि अभी परपत्नी को लिखित सूचना देकर निगमानुपा पत्थरगरी की जावे एवं पालावी रिपोर्ट जमावाना में प्रवृत्त करें। परपत्नी फिलानु शुमार होकर नम्बर ले काम हो।</p>	

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)